GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI. :	2570301	2570882
F.O. :	2572328	2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

Ref. No.: CSJMU/SC/STCELL/480/2016

Dated 14 /06 /2016

आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी

....

....

विषयः **शैक्षिक सत्र 2016–2017 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के पिता/माता एवं विधिक अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया **दो लाख** तक है, का शैक्षिक स्तर सुदृढ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2016–17 में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रकिया हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता तथा पात्र अभ्यर्थियों को सरलतापूर्वक एवं त्वरित गति से लाभ प्राप्त हो सके। **अभ्यर्थियों द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनॉक 01.07.2016 से 30.09.2016 तक, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें ।** विद्यार्थियो द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदन के साथ समस्त अनुलग्नको के साथ **07 दिवसों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में स्वीकार किये जायेगें । उक्त तिथियों के पश्चात छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें ।**
2. **माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक / विभागाध्यक्षों / प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न समस्त वर्गो के शासनादेश के अनुरूप ही, छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करें ।**
3. छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति सुगम संचालन हेतु अभ्यर्थियों / विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यार्थियों के बैंक खाता विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा में ही खोले जायें, जिनका आई0एफ0एस0सी0 कोड– **यू0बी0आई0कोड–UBIN0534951, बी0ओ0बी0 कोड–BARBOCSUKAN है ।**
4. अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य है अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा । उक्त दर्शित वेबसाइट पर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने सम्बन्धी समस्त जानकारी एवं नियमावली उक्त वेबसाइट पर अध्ययन करने के पश्चात ही आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी स्वंम् जिम्मेदार होगा साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकता है ।
5. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि कोई त्रुटि न होने पाये । **अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।**
6. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन प्रेषित (submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही आवदेन पत्र submit करें ।
7. ऑन लाईन आवेदन करने पर अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः सृजित होगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र भरेगा एवं भविष्य में अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
8. अभ्यर्थी को ऑनलाईन submited आवेदन पत्र के सुस्पष्ट प्रिन्टआउट के साथ निम्नॉकित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र submit **करने के पश्चात 07 दिनों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में जमा करना होगा ।**
   (क) ऑनलाईन किया गया आवेदन पत्र फोटो एवं हस्ताक्षर सहित निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा इस आशय से अग्रसारित किया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित ऑनलाईन आवेदन पत्र त्रुटिरहित है तथा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र है ।
   (ख) आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
   (ग) जाति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।

(घ) पिछले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ ।

(च) यदि दो कक्षाओं के बीच समय अन्तराल हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित ।

(छ) विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा में खोले गये खाता के पास बुक की सुस्पष्ट छाया प्रति जिससे नाम एवं खाता संख्या प्रमाणित की जा सके ।

(ज) समस्त जमा शुल्क रसीद की छायाप्रति

(झ) अभ्यर्थी के माता–पिता एवं विधिक अभिभावक द्वारा **10=00 रूपये के नान जूडिशियल स्टॉप पेपर** पर शपथ पत्र (शपथ पत्र का संलग्न नमूने के अनुरूप होना अनिवार्य है।)

(ञ) यू0पी0टी0 द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थी को अपने कालेज अवंटित सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है ।

9. ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात वेबसाईट लाक कर दी जायेगी तथा उसके बाद कोई भी आवेदन किया जाना सम्भव नही होगा ।
10. अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में जनपदीय कोषागार e-payment प्रकिया के तहत NEFT/RTGS से सीधे प्रेषित की जायेगी, जिससे पात्र विद्यार्थियों को सुगमता एवं शीघ्रता से धनराशि प्राप्त हो जायेगी ।
11. अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0द्वारा सूचित किये जाने की व्यवस्था है ।

    (1) ऑनलाईन आवेदन submit करने पर ।

    (2) शैक्षिक संस्थान द्वारा अभ्यर्थी का विवरण सत्यापित करने पर ।

    (3) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा स्वीकृत करने पर ।

    (4) अभ्यर्थी के बैंक खाते में धनराशि प्रेषित करने पर ।
12. शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि का सन्निकट आने का इन्तजार न किया जाय, निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा कि कोई पात्र छात्र/छात्रा ऑनलाईन आवेदन करने से छूटने न पाये ।
13. योजना की सम्पूर्ण जानकारी सभी आदेश–निर्देश वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर उपलब्ध है ।
14. छात्र/छात्रा को ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पडने पर विद्यार्थी के सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।
15. आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा । उसी प्राप्ति रसीद पर छत्रवृत्ति प्रकोष्ठ में समस्त अनुलग्नकों के साथ जमा किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है, उस पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा सही का निशान किया जायेगा तथा हस्ताक्षर कर आवेदक को रसीद फाडकर दे देगा ।
16. शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि ऑनलाईन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता एवं सुगम संचालन हेतु विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक/ विभागाध्यक्ष / प्रभारियों को निर्देशित किया जाये कि अपने विभाग के सूचना पट एवं अधिकृत स्थानों पर चस्पा करें ।
17. आवेदित विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर्नलाइन त्रुटिविहीन आवेदन करें । आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि–मेरे द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र सही भरा गया है **यदि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि निकलती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी ।** (प्रारूप संलग्न है।)

प्रायः पाया गया है कि छात्र/छात्रायें सम्पूर्ण शुल्क भी जमा नही करते है और शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भी नही भरते है, ऐसी स्थिति में शुल्क सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी की होगी ।

भवदीय

संलग्नक –यथोपरि ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी को अवलोकनार्थ ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
3. अन्य पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
4. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आश से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
6. वैयक्तिक सहायक वित अधिकारी ।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव ।
8. आदेश पत्रावली ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

शपथ पत्र

सेवा में, दिनॉक :– / /2016

कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,

कानपुर।

1. मै शपथकर्ता..पुत्र श्री ....पता ....
....का
मूल निवासी हूँ ।
2. मै शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मै ....पुत्र श्री ....
सरकारी /अर्द्धसरकारी/उद्योग/व्यवसाय/कृषि कार्य करता हूँ/करती हूँ । (सेवारत संस्थान का पूर्ण पता)
....
3. मै शपथपूर्वक घोषण करता हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्रोतो से मासिक आय (शब्दों एवं अंको मे) रू0.................
....एवं वार्षिक आय (शब्दों एवं अंको मे) रू0...है।
4. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि संलग्न आय प्रमाण पत्र संख्या ....
जिला ....के तहसील ....द्वारा निर्गत है, जो कि सही है ।
5. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री ....संस्थान ....
....................................छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय मे सत्र 2016–17 की कक्षा ....
का अध्ययनरत छात्र/छात्रा है ।
6. मै शपथकर्ता ....पुत्र श्री ....घोषणा
करता/करती हूँ कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोइ त्रुटि नही है । **यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी । छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ उत्तरदायी नही होगा** ।

शपथकर्ता घोषणा करता है कि क्रम संख्या 01 से 06 तक में किसी भी तथ्य को छुपाया नही गया है । यदि विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की भुगतान की गयी धनराशि ब्याज के साथ विश्वविद्यालय को वापस करने का वचन देता हूँ । साथ ही विश्वविद्यालय गलत तथ्यों के आरोप में नियमानुसार दण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा ।

शपथकर्ता छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर...

नाम ....

पता ....

विद्यार्थी के पिता/माता/विधिक अभिभावक का विवरण

शपथकर्ता

हस्ताक्षर...

नाम ....

पता ....

नोट– उपरोक्त शपथ पत्र रू0 10=00 के स्टाम्प पेपर पर छात्र/छात्र के पिता/माता अथवा दोनो के जीवित न होने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त वैधानिक अभिभावक द्वारा दिया जायेगा, यदि कोई छात्र/छात्रा उक्त शपथ पत्र नही देता है तो उसका छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकार न किया जाये ।

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI. : 2570301 2570882
F.O. : 2572328 2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

Ref. No.: CSJMU/SC/STCELL/ 483 /2016

Dated 19 /07 /2016

विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के पिता/माता एवं विधिक अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया **दो लाख** तक है, का शैक्षिक स्तर सुदृढ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2016–17 में कुशलता पूर्वक आनलाइन आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत है–

(अ) छात्र/छात्रा क्या करें:–

1. छात्रों को आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी समस्त अभिलेख, जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पास बुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने एकत्रित कर लें ।
2. सभी छात्र/छात्रायें अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें । छात्र/छात्रायें यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे है तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जॉच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जॉच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें तदोपरान्त छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें ।
3. आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण पत्र कमांक तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा । सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट करने हेतु फइनल प्रिन्ट लें ।
4. अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल फीस के कालम में विभाग से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें ।
5. आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते में सीडेड हो, भरना अनिवार्य है । आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से के.वाई.सी. पूर्ण होजाती है । अपनी बैंक शाखा में के. वाई.सी.फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें । अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें एवं उसमें निधारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें ।
6. बचत बैंक खाता संख्या(CBS) एवं IFSC कोड को भलीभॉति जॉच लें।बचत बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड भरने में जीरो (0)और ओ(O) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें ।
7. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को नया आनलाइन आवेदन करना है । द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्र/छात्रओं को पूर्व वर्ष में किये गये आनलाइन आवेदन का नवीनीकरण करना होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
8. छात्र/छात्रओं को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल फीस, मोबाइल नं0 वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व IFSC कोड आदि भरना होगा । नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र/छात्रयें आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योकि अंको का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा ।
9. पाठ्यकम व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें । छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें ।
10. छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 स्वयं की ही दें ।
11. नये छात्र/छात्राओं द्वारा आनलइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में आनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति

के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा । यह मुख्य रूप से आय, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक की प्रविष्टि में त्रुटि, हाईस्कूल के रोल नम्बर की प्रविष्टि में त्रुटि से सम्बन्धित होगी ।

12. निर्धारित अन्तिम तिथि के कम से कम 04 दिवस पूर्व तक छात्र/छात्रायें अपने आनलाइन आवेदन को पूर्ण कर लें ताकि यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का अवसर प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व उन्हे मिला सकें ।
13. राज्य स्तरीय स्कूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर दिनॉक 01 से 10 नवम्बर 2016 तक प्रदर्शित किया जायेगा और आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्रा द्वारा ठीक करने का एक और अवसर प्राप्त होगा ।
14. छात्र/छात्रा द्वार आनलाइन किया गया आवेदन पत्र के साथ निम्नॉकित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है ।
    (1) आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
    (2) जाति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
    (3) पिछले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ ।
    (4) यदि दो कक्षाओं के बीच समय अन्तराल हो तो तदआशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित ।
    (5) विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा में खोले गये खाता के पास बुक की सुस्पष्ट छाया प्रति जिससे नाम एवं खाता संख्या प्रमाणित की जा सके ।
    (6) समस्त जमा शुल्क रसीद की छायाप्रति
    (7) अभ्यर्थी के माता–पिता एवं विधिक अभिभावक द्वारा **10=00 रूपये के नान जूडिशियल स्टॉप पेपर** पर शपथ पत्र (शपथ पत्र का संलग्न नमूने के अनुरूप होना अनिवार्य है।)
    (8) यू0पी0टी0यू द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थी को अपने कालेज अवंटित सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है ।
15. ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें क्योकि अन्तिम तिथि के पश्चात वेबसाईट लाक कर दी जायेगी तथा उसके बाद कोई भी आवेदन किया जाना सम्भव नही होगा ।

(अ) छात्र/छात्रा क्या न करें:–

1. शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौपें। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में स्वयं जमा करें ।
2. अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा–हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें ।
3. आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें ।
4. शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नही माना जायेगा ।
5. छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य नही होगी ।
6. नियमावली, समय–सारणी एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.nic.in पर सर्च करें ।

भवदीय

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी को अवलोकनार्थ ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
3. अन्य पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
4. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आश से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
6. वैयक्तिक सहायक वित अधिकारी ।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव ।
8. आदेश पत्रावली ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव